न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 362/2025

अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री जीवनराम शर्मा निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

––अप्रार्थी

––

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

––

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि– अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि प्रार्थी अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री जीवनराम शर्मा जो कि ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में राशन की दुकान संचालित करता हूं। ग्राम पंचायत बागोरा में पहले से दो राशन की दुकाने है अब राजनैतिक अनुशंषा के आधार पर खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुये तीसरी दुकान का आंवटन के आदेश निकाले गये है। ग्राम पंचायत में वर्तमान में दो राशन डीलर है जिनमें से मेरी दुकान पर 943 राशन कार्ड की संख्या है। खाद्य विभाग द्वारा चलाये गये गिव अप अभियान में 85 राशन कार्डो को उपभोक्ताओं ने पलायन कर दिया। 35 से 40 राशन कार्ड ऐसे है जिनकी वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये है। अब मेरी वर्तमान दुकान मे खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डों की संख्या 800 है। अतः श्रीमान्‌जी की सेवामे प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि ग्राम पंचायत बाघोरा के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करें।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/860 दिनांक 04.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 13053/2025 अशोक कुमार शर्मा, बागोरा बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि ग्राम पंचायत बागोरा मे नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत बागोरा मे नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट ली गई। नवसृजित उचित मूल्य दुकान व अन्य श्रेणी की उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए प्रकिया की गई व निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट श्री अशोक कुमार शर्मा के पास वर्तमान मे ग्राम पंचायत बागोरा मे खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित राशन कार्ड संख्या 971 व खाद्य सुरक्षा योजना चयनित यूनिट 4871 है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री जीवनराम शर्मा जो कि ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में राशन की दुकान संचालित करता हूं। ग्राम पंचायत बागोरा में पहले से दो राशन की दुकाने है अब राजनैतिक अनुशंषा के आधार पर खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुये तीसरी दुकान का

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आंवटन के आदेश निकाले गये है। ग्राम पंचायत में वर्तमान में दो राशन डीलर है जिनमें से मेरी दुकान पर 943 राशन कार्ड की संख्या है। खाद्य विभाग द्वारा चलाये गये गिव अप अभियान में 85 राशन कार्डो को उपभोक्ताओं ने पलायन कर दिया। 35 से 40 राशन कार्ड ऐसे है जिनकी वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये है। अब मेरी वर्तमान दुकान मे खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डों की संख्या 800 है। अतः श्रीमान्‌जी की सेवामे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत बाघोरा के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम बागोरा स्थित उक्त दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 971 व यूनिट 4871 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोरा स्थित उचित मूल्य श्री अशोक कुमार शर्मा को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं